

चार्ट - 2

"राजस्थान में स्थित सभी विश्राम भवनों में कैटेगरी (अ)(ii), (iii), कैटेगरी (ब) की निर्धारित दरें"

(Amount in ₹)

कमरे का इकाइए चार्ज विवरण	अन्य राज्य की जान करका पर याज ले यात्रा करनी एवं प्रतिष्ठा अधिकारी/विवाहकारी एवं पात्र योग्यता अधिकारी	अन्य राज्य, भारत सरकार की कैटेगरी/विवाहकारी एवं पात्र योग्यता अधिकारी	चबूतरा, अजमेर, जलवाय, कोटा, शीकानेर, भरतपुर, मारवाड़, जैसलमेर, जोधपुर, राजस्थान, एवं रायपुर	कैटेगरी (अ) गैर-भारतीय/प्राइवेट/सामाजिक अधिकारी
कमरा	कैटेगरी (अ)(ii)	कैटेगरी (अ)(iii)	कैटेगरी (ब)	रोप अन्य जापी रकम
वीआईपी सूइट	300	700	900	2455
यातानुकूलित	165	355	405	1330
युलर कमरा	80	145	295	1160
अतिरिक्त बैंड	20	30	30	100
सिंगल ट्रै चाय	2	2	2	12
सिंगल ट्रै काफी	3	5	5	20
नाश्ता	20	20	20	50
लन्च/डीनर(दौ)	30	30	30	75

चार्ट - 3  
राजस्थान हाउस, नई दिल्ली

(Amount in ₹)

क्र. सं.	कमरे का इकाइए चार्ज	कैटेगरी (अ)(i)	कैटेगरी (अ)(ii)	कैटेगरी (अ)(iii)	कैटेगरी (ब)
1	वीआईपी सूइट	201	300	900	5000
2	यातानुकूलित	201	225	420	3275
3	अतिरिक्त बैंड	80	30	30	500
4	सिंगल ट्रै चाय	2	2	5	15
5	सिंगल ट्रै काफी	3	3	8	20
6	नाश्ता	15	20	20	55
7	लन्च/डीनर (शाकाहारी)	20	30	30	100

चार्ट - 4  
सर्किंट हाउस के कानून का 3 घण्टे का किराया विजली सहित निर्धारित दरें

Amount in ₹)

क्र. सं.	सर्किंट हाउस का नाम	राजकीय विभागों/उपकरणों से	भारत सरकार/निजी व्यक्तियों से
1	राजस्थान हाउस, नई दिल्ली	5000	10000
2	समस्त सर्किंट हाउस	1000	5000
3	फर्नीचर व अन्य सुविधा व्यवस्था	किरायेदार हाउस स्वयं की जायेगी	किरायेदार हाउस स्वयं की जायेगी
4	राज.स्टेट गैस्ट हाउस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली	5000	10000

चार्ट - 5

सर्किंट हाउस कर्मचारियों से उसी सर्किंट हाउस में उपयोग की जाने वाली केटरींग सुविधाओं हेतु निर्धारित चार्ज

Amount in ₹)

क्र. सं.	पद नाम	अतिरिक्त कार्य समय में (प.11(39) साप्र/1/81 दिनांक 30.1.95)		नियमित कार्य समय में (प.11(39) साप्र/1/91 दिनांक 9.2.93)	
		प्रति वेज खाना	प्रति कप चाय	प्रति एक प्लेट धावल+दाल, एक सब्जी+चार चपाती	प्रति कप चाय
1	मेनेजर	15	2	5	1
2	सी.हाउससंचालक	15	2	5	1
3	हाउस कीपर	15	2	5	1
4	अन्य कर्मचारी	15	2	5	1

- नोट : 1. केटेगरी (ब) के अंतिक्रियों से उपरोक्त दरों के अलावा कुल बिल की राशि पर 10% सर्वैन्ट फ्रैच्यूटी की राशि अंतिरिक्त रूप से धार्ज की जायेगी।  
2. माउण्ट आबू में रोजन/ऑफसीजन हेतु वरें तमान लप से लागू होगी। राजकीय कुटीर में प्रवास हेतु दरें विश्राम भवन रिश्त वीआईपी सूईट्स के समान रहेंगी।  
3. मंत्रीगण/अधिकारियों के साथ आने वाले अधीनस्थ/मंत्रालयिक एवं अराजपत्रित कर्मचारियों से ₹ 10/- प्रति व्यक्ति प्रतिदिन चार्ज किया जावेगा।

यह स्वीकृति अंतिरिक्त मुख्य सचिव (वित्त) की ID संख्या 101200659 दिनांक 23.02.2012 एवं मुख्यमंत्री कार्यालय की ID संख्या F. 12001207 दिनांक 13.03.2012 द्वारा जारी सहमति के अनुसार जारी की जाती है।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(डॉ. अर्जुन जैन)  
प्रमुख शत्तन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री, राजस्थान।
- मुख्य सचिव, राजस्थान।
- समस्त अंतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान।
- समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।
- प्रमुख निवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
- समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलकर्ट्स।
- समस्त विभागाध्यक्ष।
- विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
- निजी सचिव, समस्त अध्यक्ष/निगम/बोर्ड/मण्डल।
- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय।
- उप सचिव (वीपी), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. संख्या F.12001207 दिनांक 13.03.12 के क्रम में।
- शासन उप सचिव, वित्त (व्यव-2) विभाग को अंतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त की आई.डी. संख्या 101200659 दिनांक 23.02.2012 के क्रम में।
- प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
- समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान।
- व० लेखाधिकारी, साठप्र०(ग्रुप-4)विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साठप्र०विभाग।
- रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्न को अलग से सूचनार्थ प्रेषित है :-

- सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
- राजस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।

(राजीव जैन)  
शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन(गुप्त-5)विभाग

कमांक: प. 16(39)साप्र/5/88

जयपुर, दिनांक: १८.३.१२

"संशोधित आदेश"

इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 16.3.2012 द्वारा राजस्थान हाउस एवं  
राजस्थान स्थित समस्त विश्राम भवनों में प्रवास हेतु प्रचलित दरों में संशोधन किया गया था,  
जिसमें चार्जेज चार्ट-3 राजस्थान हाउस नईदिल्ली के बिन्दु सं0 3 अतिरिक्त बेड में केटेगरी  
(अ) (1) में रूपये 80 के स्थान पर रूपये 30 पढ़ा जावे।

आज्ञा से

१०६७९१०

सहायक शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आदश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- प्रमुख सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री, राजस्थान।
- मुख्य सचिव, राजस्थान।
- समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान।
- समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव।
- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।
- प्रमुख निवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, शीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
- समस्त संभागीय आयुक्त/जिला कलकट्टस।
- समस्त विभागाध्यक्ष।
- विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/संसदीय सचिव।
- निजी सचिव, समस्त अध्यक्ष/निगम/बोर्ड/मण्डल।
- महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
- मुख्य लेखाधिकारी, शासन सचिवालय।
- उप सचिव (वीपी), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनकी आई.डी. संख्या F.12001207 दिनांक 13.03.12  
के क्रम में।
- शासन उप सचिव, वित्त (व्यय-2) विभाग को अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त की आई.डी. संख्या  
101200659 दिनांक 23.02.2012 के क्रम में।
- प्रबन्धक, राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली।
- समस्त प्रबन्धक, विश्राम भवन, राजस्थान।
- व० लेखाधिकारी, साठप्र०(गुप्त-4)विभाग।
- निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साठप्र०विभाग।
- रक्षित पत्रावली।

प्रतिलिपि निम्न को अलग से सूचनार्थ प्रेषित है :-

- सचिव, राजस्थान विद्यानरामा, जयपुर।
- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
- रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।

१०६७९१०

सहायक शासन सचिव

राजस्थान राज्याल  
कामान्व प्रशासन (यूप-ए) विभाग

दिनांक १५/०४/२०१२ / ५/६८

10-5-12  
बागूर डीपा

आदेश

इस विभाग के सभी संस्थानिक आदेश दिनांक 16.3.2012 के कम में निवेशनुसार निकेत हाउस की दरों में चारों  
कोटियाँ-1 कोटियाँ-2 (i) में प्रदर्शित दरों के साथ अतिरिक्त दरों की दर को शामिल नहीं किया जाएगा ताकि दरों को  
विभाग नहीं जी खील तक दरों द्वारा बाधित कर दर नियंत्रित करने हेतु अतिरिक्त दरों को इसमें शामिल नहीं किया जा  
सकता जो इसलिये रूपये 10/- प्रति अतिरिक्त दरों को जारी नियंत्रित किया जाता है।

आदेश दिनांक 16.3.2012 में उल्लेखित चारों-1 में नान एसी कमरों की दर नियम भवन जयपुर/नई दिल्ली हेतु  
80/- के साथौरित की गई थी। चारों से 2 कोटियाँ-2 (ii) में अवकाश पर भी यह दर रु.80/- नियंत्रित की गई  
जबकि पूर्व में यह दर साजड़ीय दरे पर अनुज्ञेय दर से भिन्न थी। अतः इस दर को साथौरित रूप से रूपये 100/-  
नियंत्रित किया जाता है।

इसी प्रकार मैन्युअल के अध्याय-4 "स्थानान्तरण पर शुरुआत" में उल्लेखित प्रादर्शानों को नीचे दी गई तारीफी  
अनुसार संशोधित किया जाता है :-

गोपन चार्ज

क्रम.	अवधि	दर
1	एक बाह तक	मुप-ए
2	एक बाह पश्चात् (अधिकतम तीन बाह तक)	मुप-दो

आवास चार्ज

क्रम.	अवधि	दर
1	एक बाह तक	मूल बेतन का 10%
2	एक बाह पश्चात् (अधिकतम तीन बाह तक)	मूल बेतन का 15%

**नोट-** तीन बाह से अधिक अवधि के लिये स्थान संतर से शिशिलन प्राप्त करने के उपरान्त ही यह शुद्धित प्रदान  
की जायेगी।

राज्यपाल की शाझा से,  
  
शासन रूप सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, राजस्थान / मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव।
5. सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग।
6. प्रमुख निवासीय आयुक्त, राजस्थान सरकार, बीकानेर हाउस, नई दिल्ली।
7. समस्त संघागारीय आयुक्त / जिला कलकर्ता।
8. समस्त विभागाध्यक्ष।
9. विशिष्ट राहायक / निजी सचिव, समस्त मंत्री / राज्यमंत्री / संसाधीय सचिव।

10. निजी उपनीय, रामरत्न अध्यक्ष/ निगम/ वीरेंद्र कांडवा।
11. महानेतामान संजयगांव जयपुर।
12. मृत्यु लेखाशेखारी, शासन सचिवालय।
13. उप सचिव(वीरी)मुख्यमंत्री कायोलव तांडनको आई दी. स. १२००१०००. दि-नाम १५. १२. १५. क्रम. ८।
14. शासन उप सचिव वित्तव्यय-२)विभाग।
15. प्रबन्धक, राजस्थान राजस/ जोधपुर राजस, नई दिल्ली।
16. रामरत्न प्रदन्धक, विद्याम भवन, राजस्थान।
17. ब०लेलाहिकारी, सांप्रदायकृप-४) विभाग।
18. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, सांप्रदायकृप।
19. रीषित पत्रामली।

 शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को नी प्रेषित है—

1. सचिव, राजस्थान विधानसभा, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान लोक सभा आयोग, अजमेर।
3. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर।
4. रजिस्ट्रार, राजस्व मण्डल, अजमेर।

 शासन उप सचिव

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-5) विभाग

लम्बांक : प० 16(39)सप्र/ ५/८६

जयपुर, दिनांक : 14.03.2012

/4

आदेश

राजस्थान हाउस, नई दिल्ली एवं राजस्थान स्थित समस्त विभाग भवनों में प्रवास हेतु प्रघलित दरें एवं सीधी व डी चार ग्रुपों में परिभाषित की हुई हैं। दरों के निर्धारण हेतु कमरा किराया, टीवी, कमरा कूलर, गीजर, एसी इत्यादि सभी सुविधाओं के पृथक चार्ज निर्धारित किये हुये हैं। इससे बिल बनाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना फड़ता है। अतः इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 10.05.2001, 26.05.2002, 26.06.2006 एवं 08.09.2009 के अतिक्रमण में इन दरों में उक्त सुविधाओं को समिलित कर इकजार्झ दरें निम्नानुसार संशोधित कर निर्धारित की जाती हैं :-

1. वर्तमान चार केटेगरियों को दो केटेगरी में सीमित किया जाता है :-

(अ) साजकीय (Official)

- i) राजकीय दौरे पर (वर्तमान पात्रता ग्रुप-ए)
- ii) अवकाशकाल में (वर्तमान पात्रता ग्रुप-बी)
- iii) पूर्व मंत्रीगण/पूर्व सांसद/पूर्व विधायक एवं सेनानी अधिकारी (वर्तमान पात्रता ग्रुप-सी)

(ब) गैर-साजकीय (Non-official)

सरकार द्वारा अधिकृत अतिथि, साजकीय अतिथि/विभागीय अतिथि/प्राइवेट व्यक्ति  
(वर्तमान पात्रता ग्रुप-डी)

2. कमरों की दरों के निर्धारण में दो केटेगरी रखी जाती हैं :-

(अ) वातानुकूलित

- i) दीआईपी सुईट्स
- ii) एसी कमरा

(ब) गैर-वातानुकूलित

- i) कूलर कमरा
- ii) अतिथियों के साथ निजी सहायक, सुख्खाकर्मी, च०थ०० के एवं याहन चालक आदि।

चार्ज

चार्ट - १

"राजस्थान हाउस, नई दिल्ली एवं राजस्थान में स्थित सभी विभाग भवनों में केटेगरी (अ)(i) की निर्धारित दरें"

क्र.सं.	विवरण	जयपुर के अलावा राजस्थान के समस्त विभाग भवन	विभाग भवन, जयपुर	राजस्थान हाउस/जोधपुर हाउस, नई दिल्ली
1	सुईट	76	111	201
2	एसी	76	111	201
3	नॉन-एसी	55	80	80
4	चाय	2	2	2
5	कॉफी	3	3	3
6	नाइट्स	15	15	15
7	लन्च / डीनर (वेज)	20	20	20